



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2018/वैशाख 7, 1940

No. 167]

NEW DELHI FRIDAY, APRIL 27, 2018/VAISAKHA 7, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

फा. सं. पीएनजीआरबी/अथो./सीजीडी/अमेंड/ 2018/2:--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, में -

(क) विनियम 2 में,-

(i) खंड (छब) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (झघ) में "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" अक्षरों और शब्द को "सीएनजी स्टेशनों" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (झड.) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

‘(झड.) "कार्य कार्यक्रम", प्राधिकार-पत्र जारी होने तक का अर्थ है बोली लगाने वाले बोलीदाता द्वारा उद्धृत घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या, सीएनजी स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइपलाइन नेटवर्क के इंच-किलोमीटर की संख्या तथा इस प्रकार के जारी होने के पश्चात का अर्थ है अनुसूची -घ'के अनुसार जैसा कि जारी प्राधिकार पत्र में उल्लेखित घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या, सीएनजी स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइपलाइन के इंच-किलोमीटर नेटवर्क” ;

(ख) विनियमन 7 में,-

(1) उप-विनियम 1(क) में, -

- (i) तालिका में परंतुक से पूर्व क्रमांक 3, "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों के लिए "बोली-प्रक्रिया मानदंड" शीर्षक वाले कॉलम में, अक्षरों और शब्द "सीएनजी स्टेशनों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) तालिका में परंतुक से नीचे क्रमांक 3, "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों के लिए "बोली-प्रक्रिया मानदंड" शीर्षक वाले कॉलम में, अक्षरों और शब्द "सीएनजी स्टेशनों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) उप-विनियम 1(ख) में,

- (i) परंतुक से पूर्व तालिका में, कॉलम शीर्षक "प्राकृतिक गैस स्टेशनों (संचयी)" को कॉलम शीर्षक "सीएनजी स्टेशनों (संचयी)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) परंतुक के नीचे तालिका में, कॉलम शीर्षक "प्राकृतिक गैस स्टेशनों (संचयी)" को कॉलम शीर्षक "सीएनजी स्टेशनों (संचयी)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) उप-विनियम 3 में, "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) विनियमन 8 में, उप-विनियम (4) "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) विनियमन 12 में, उप-विनियम (2) के तीसरे परंतुक में, "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ड.) विनियमन 16 में,-

(i) उप-विनियम (2) खंड (ग) में,-

- (क) "प्राकृतिक गैस स्टेशन" शब्दों को "सीएनजी स्टेशन" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-विनियमन (5) में, शब्द "प्राकृतिक गैस स्टेशनो" को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) विनियमन 17 में, उप-विनियमन 3 में, शब्द और आंकड़े "जैसा विनियमन 15 के तहत निर्दिष्ट है" लोप किया जाएगा;

(छ) अनुसूची-ग में,-

- (i) भाग-II में, तालिका में प्रविष्टि संख्या "ग" के सम्मुख, "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) घोषणा में, खण्ड 3 में, "प्राकृतिक गैस स्टेशनों" शब्दों को "सीएनजी स्टेशनों" अक्षरों और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) अनुसूची ग(1) में,-

(i) कोष्ठक और अक्षर “ (ग)” से प्रारम्भ होने वाले तथा अक्षरों, आंकड़ों और गणितीय प्रतीकों “एचजी3 = 100%” के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ग) सीजीडी नेटवर्क में स्थापित होने वाले सीएनजी स्टेशनों की संख्या:

मान लें,

आईजी 1 = पहली कंपनी द्वारा लगाई गई सीएनजी स्टेशनों की बोली का मूल्य।

आईजी 2 = दूसरी कंपनी द्वारा लगाई गई सीएनजी स्टेशनों की बोली का मूल्य।

आईजी 3 = तीसरी कंपनी द्वारा लगाई गई सीएनजी स्टेशनों की बोली का मूल्य।

मान लें कि आईजी1, आईजी2 से कम है और आईजी2, आईजी3 से कम है।

सीएनजी स्टेशनों की बोली (एचआईजी3) की उच्चतम संख्या को सर्वाधिक 100% अंक दिए जाएंगे और अन्य बोलियों के सीएनजी स्टेशनों की संख्या को यथानुपात आधार पर एचआईजी3 के संबंध में अंक दिए जाएंगे -

एचजी1 = 100% x (आईजी1 ÷ आईजी3)

एचजी2 = 100% x (आईजी2 ÷ आईजी3)

एचजी3 = 100%”;

(ii) कोष्ठक और अक्षर “(ड.)” से शुरू होने वाले और अक्षरों, आंकड़ों और गणितीय प्रतीकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए के लिए “मान लें कि पी1, पी2 से अधिक है और पी2, पी3 से अधिक है”, तो निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ड.) पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या

मान लें,

पी1 = पहली इकाई द्वारा पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या

पी2 = दूसरी इकाई द्वारा पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या

पी3 = तीसरी इकाई द्वारा पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या

मान लें कि पी1, पी2 से अधिक है और पी2, पी3 से अधिक है।”;

(i) अनुसूची घ में, नियम और शर्तों के लिए संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“3. ऊपर दी गई अनुमत गतिविधियों को नीचे उल्लिखित कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या
1	प्राधिकार की तारीख से 8 संविदा वर्षों के भीतर सीएनजी स्टेशनों (ऑनलाइन और डॉटर बूस्टर स्टेशनों) की स्थापना की जाएगी	
2	प्राधिकार की तारीख से 8 संविदा वर्षों के भीतर घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शन की संख्या प्राप्त की जाएगी	
3	इंच-कि.मी.स्टील पाइपलाइन को प्राधिकार की तारीख से 8 संविदा वर्षों के भीतर बिछाया जाएगा	

नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, कंपनी को 8 संविदा वर्ष के भीतर वर्ष-वार कार्य कार्यक्रम प्राप्त करने की आवश्यकता होगी:

पीएनजी कनेक्शन (संचयी)		सीएनजी स्टेशन (संचयी)		स्टील पाइपलाइन के इंच-कि.मी. (संचयी)	
संविदा वर्ष के अंत तक	कार्य कार्यक्रम का %	संविदा वर्ष के अंत तक	कार्य कार्यक्रम का %	संविदा वर्ष के अंत तक	कार्य कार्यक्रम का %
पहला	शून्य	पहला	शून्य	पहला	5
दूसरा	10	दूसरा	15	दूसरा	20
तीसरा	20	तीसरा	30	तीसरा	40
चौथा	30	चौथा	45	चौथा	60
पांचवां	40	पांचवां	60	पांचवां	70
छठा	60	छठा	75	छठा	80
सातवां	80	सातवां	90	सातवां	90
आठवां	100	आठवां	100	आठवां	100
टिप्पणी – यदि प्राप्त संख्या खंड में है, तो इसे अगली पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा और 0.5 को अगली पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा।					

वैकल्पिक रूप से,

(i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकुला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिले, और (iii) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, कंपनी को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार 10 संविदा वर्षों के भीतर वर्ष-वार कार्य कार्यक्रम प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, अर्थात्:-

पीएनजी कनेक्शन (संचयी)		सीएनजी स्टेशन (संचयी)	
संविदा वर्ष के अंत तक	कार्य कार्यक्रम का %	संविदा वर्ष के अंत तक	कार्य कार्यक्रम का %
पहला	शून्य	पहला	शून्य
दूसरा	10	दूसरा	10
तीसरा	20	तीसरा	20
चौथा	30	चौथा	30
पांचवां	40	पांचवां	40
छठा	50	छठा	50
सातवां	60	सातवां	60
आठवां	70	आठवां	70
नौवां	80	नौवां	80
दसवां	100	दसवां	100
टिप्पणी – यदि प्राप्त संख्या खंड में है, तो इसे अगली पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा और 0.5 को अगली पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा।			

(ज) परिशिष्ट-I और परिशिष्ट-II का लोप किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III /4/असा./47/18]

पाद टिप्पणी मूल विनियमों को जी.एस.आर. 196(अ.) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था तत्पश्चात् जीएसआर 800(अ.) दिनांक 19 नवंबर, 2008, जीएसआर. 295(अ.) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, जीएसआर 478(अ.) दिनांक 7 जून, 2010, जीएसआर. 605(अ.) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेग्युलेशन/रिव्यू-2011/2012-III दिनांक 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बिड/4/2013-प्रि-बिड दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा.सं. एल-एमआईएससी/छठी/ 1/2007 दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/ रेग्युलेशन /अमेंडमेंट/2015 दिनांक 13 फरवरी 2015, पीएनजीआरबी/सीजीडी/ अमेंडमेंट /2015/2 दिनांक 11 दिसंबर 2015 और फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/ अमेंडमेंट /2015/2/एससी दिनांक 26 अप्रैल 2016 और फा.सं. पीएनजीआरबी /प्राधि./सीजीडी/अमेंड /2018 दिनांक 06 अप्रैल 2018 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2018

F.No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2:— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(a) in regulation 2, -

- (i) clause (gb) shall be omitted;
- (ii) in clause (id) for the words “natural gas station” the letters and the word “CNG station” shall be substituted;
- (iii) for clause (ie) the following clause shall be substituted, namely: -
 ‘(ie) “work programme”, until issuance of authorisation letter, means number of domestic PNG connections, number of CNG stations and Inch-kilometer of steel pipeline network as quoted by the bidder in the bid and after such issuance means number of domestic PNG connections, number of CNG stations and Inch-kilometre of steel pipeline network as mentioned in the authorisation letter as per Schedule-D’;

(b) in regulation 7, -

- (1) in sub-regulation 1(a), -

- (i) in the table before proviso, against Sl. No. 3, in column with heading “Bidding Criteria”, for the words “natural gas stations”, the letters and word “CNG stations” shall be substituted;
- (ii) in the table below proviso, against Sl. No.3, in column with heading “Bidding Criteria”, for the words “natural gas stations”, the letters and word “CNG stations” shall be substituted;
- (2) in sub-regulation 1(b), -
 - (i) in the table before proviso, for the column heading “Natural Gas Stations (cumulative)” the column heading “CNG Stations (cumulative)” shall be substituted;
 - (ii) in the table below proviso, for the column heading “Natural Gas Stations (cumulative)”, the column heading “CNG Stations (cumulative)” shall be substituted;
- (3) in sub-regulation 3, for the words “natural gas stations”, the letters and word “CNG Stations” shall be substituted;
- (c) in regulation 8, in sub-regulation (4) for the words “natural gas station” the letters and word “CNG station” shall be substituted;
- (d) in regulation 12, in sub-regulation (2), in third proviso, the words “natural gas stations” the letters and word “CNG stations” shall be substituted;
- (e) in regulation 16, -
 - (i) in sub-regulation (2), in clause (c), -
 - (A) for the words “natural gas station” the letters and word “CNG station” shall be substituted;
 - (B) for the words “natural gas stations” the letters and word “CNG stations” shall be substituted;
 - (ii) in sub-regulation (5), for the words “natural gas stations” the letters and word “CNG stations” shall be substituted;
- (f) in regulation 17, in sub-regulation 3, the words and figures “as specified under regulation 15” shall be omitted;
- (g) in Schedule- C, -
 - (i) in Part-II, in the table, for the words “Natural Gas Stations” occurring against entry number “C”, the letters and word “CNG Stations” shall be substituted;
 - (ii) in declaration, in clause 3, for the words “natural gas stations” the letters and word “CNG stations” shall be substituted;
- (h) in Schedule C (1), -
 - (i) for the portion beginning with brackets and letter “(C)” and ending with the letters, figures and mathematical symbols “HG3=100%”, the following shall be substituted, namely: -

“(C) Number of CNG Stations to be installed in CGD Network:

Let,

IG1 = value of the CNG stations bid by the 1st entity.

IG2= value of the CNG stations bid by the 2nd entity.

IG3= value of the CNG stations bid by the 3rd entity.

Assume that IG1 is lower than IG2 and IG2 is lower than IG3.

The highest number of the CNG stations bid (HIG3) shall be given a score of 100% and the number of CNG stations of the other bids shall be given a score in relation to HIG3 on a pro-rata basis as under-

$HG1 = 100 \% \times (IG1 \div IG3)$

$HG2 = 100 \% \times (IG2 \div IG3)$

$HG3 = 100 \%$ ”;
 - (ii) for the portion beginning with brackets and letter “(E)” and ending with the words, letters and figures “Assume P1 is higher than P2 and P2 is higher than P3”, the following shall be substituted, namely: -

“(E) Number of PNG domestic connections

Let,

P1 = Number of PNG domestic connections by the 1st entity

P2 = Number of PNG domestic connections by the 2nd entity

P3 = Number of PNG domestic connections by the 3rd entity

Assume P1 is higher than P2 and P2 is higher than P3.”;

(i) in Schedule D, for the terms and conditions number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted: -

“3. The activities permitted above shall have to be completed as per the work programme mentioned below, namely: -

Serial Number	Description of work	Numbers
1	Number of CNG Stations (Online and Daughter Booster stations) to be installed within 8 contract years from the date of authorisation	
2	Number of domestic Piped Natural Gas connections to be achieved within 8 contract years from the date of authorisation	
3	Inch-km of steel pipeline to be laid within 8 contract years from the date of authorisation	

The entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 8 contract years as per details given below:

PNG Connections (cumulative)		CNG Stations (cumulative)		Inch-km of steel pipeline (cumulative)	
By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program
1st	Nil	1st	Nil	1st	5
2nd	10	2nd	15	2nd	20
3rd	20	3rd	30	3rd	40
4th	30	4th	45	4th	60
5th	40	5th	60	5th	70
6th	60	6th	75	6th	80
7th	80	7th	90	7th	90
8th	100	8th	100	8th	100

Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.

Alternatively,

In the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts and (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, the entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely: -

PNG Connections (cumulative)		CNG Stations (cumulative)	
By the end of contract year	% of work programme	By the end of contract year	% of work programme
1st	Nil	1st	Nil
2nd	10	2nd	10
3rd	20	3rd	20

4th	30	4th	30
5th	40	5th	40
6th	50	6th	50
7th	60	7th	60
8th	70	8th	70
9th	80	9th	80
10th	100	10th	100
Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and fraction 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.			

”;

(j) Appendix I and Appendix II shall be omitted.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III /4/Exty./47/18]

Foot Note: Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 800 (E) dated the 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E), dated the 19th July, 2010, F.No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III, dated the 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID, dated the 7th April, 2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007, dated the 1st January, 2015, F.No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015, dated the 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2, dated the 11th December 2015, F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2/SC, dated the 26th April 2016 and F. No. PNGRB/AUTH/CGD/Amd/2018, dated the 6th April, 2018.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.02 19:44:39
+05'30'